न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी– सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

निगरानी संख्याः– 92/2022 धारा 73 (2) नगर पालिका अधि0 2009 (RCMS No.2022/96)

बृजलाल मीना पुत्र श्री हरसीलाल मीना जाति मीना निवासी डिकोलीकला तहसील सपोटरा जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर।
2. नारायण लाल पुत्र स्व0 गोरधन
3. अनिल कुमार पुत्र जम्मन
4. सुनील कुमार पुत्र जम्मन
5. मगन पुत्र कन्हैया
6. हेमा पत्नी कन्हैया
7. घनश्याम पुत्र पून्या
8. दुर्गी पत्नी रामप्रसाद(फौत)
9. दुलीचंद पुत्र पून्या
10. नरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
11. प्यारेलाल पुत्र गोरधन
12. फूलसिंह पुत्र पून्या
13. रमेशचंद पुत्र पून्या
14. रामनिवास पुत्र पून्या
15. नरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
16. सुरेश पुत्र रामप्रसाद
17. प्रेमचंद पुत्र सोन्या

जाति कोली निवासी महुकला तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी दिनांक 24.6.2022 बाबत करने 90 ए आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 0.42 राजस्व ग्राम महुकला अंतर्गत धारा 73(2)

उपस्थितिः–

1. पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील रैस्पोडेन्ट।
3. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील रैस्पोडेन्ट।

नि र्ण य

दिनांक 18.07.2023

उक्त अपील अंतर्गत धारा 73 (2) नगर पालिका अधि0 2009_आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी के आदेश दिनांक 24.6.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 संख्या 2 नारायणलाल के द्वारा आयुक्त

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नगर परिषद गंगापुरसिटी के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 90 ए (भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ) राजस्व ग्राम महुकलां के खसरा नम्बर 791 में से 0.42 है0 के संदर्भ में पेश किया गया। जिसके साथ क्षतिपूर्ति बंधपत्र, शपथ पत्र, जमाबन्दी, राजस्व खसरा अनुरेख, नक्शा इत्यादि पेश किये गये। आयुक्त नगर परिषद द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 नारायण लाल के प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 24.6.2023 से उक्त भूमि के 90 ए के आदेश पारित किये गये। अपीलान्ट का कहना है कि आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 0.42 जिसका रैस्पो0 2 ने 90 करवाया है ग्राम महुकला तहसील गंगापुरसिटी में स्थित है जिसमें से अपीलान्ट ने भूखण्डों के रूप में कुछ हिस्सा कय किया व मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था बावजूद इसके आयुक्त नगर परिषद ने अपीलान्ट को बिना सुने मेरे कयशुदा भूखण्डो की अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.6.2023 से 90 ए की कार्यवाही कर दी जिसके आधार पर आराजी नगर परिषद गंगापुरसिटी के नाम दर्ज हो गई। आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी के इस आदेश दिनांक 24.6.2023 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 0.42 है0 वाकै ग्राम महुकला तहसील गंगापुरसिटी में स्थित है। जिसके अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 व अन्य व्यक्ति है जिन्होंने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आराजी बाबत सहमति पत्र निष्पादित कर रखा है। जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 2 ने स्व0 रामधन गुर्जर के पक्ष में आराजी को बेचान संबधी इकरारनामा निष्पादित किया था। इस इकरारनामे के आधार पर स्व0 रामधन गुर्जर ने खसरा नम्बर 791 पर श्री गोरधन नगर एक कॉलोनी मय नक्शा विकसित की। इस कॉलोनी में से अपीलान्ट ने दिनांक 30.1.2013 को जरिये इकरारनामा भूखण्ड संख्या 7, 8 लगायत 24 को स्व0 रामधन गुर्जर से कय कर लिया और मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। बकाया भूखण्डों को स्व0 रामधन ने अन्य लोगों को बेचान कर दिया और कब्जा दे दिया। इस प्रकार खसरा नम्बर 791 पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 17 व अन्य खातेदारों का कोई कब्जा नहीं रहा। मौके पर केताओं का कब्जा हो गया। अपीलान्ट ने दिनांक 3.7.2013 को बकाया पैसे भी स्व0 रामधन को दे दिये थे। इसके बाद अपीलान्ट बार–बार स्व0 रामधन से जमीन की रजिस्ट्री कराने को कहता रहा लेकिन स्व0 रामधन द्वारा इस बाबत कोई सन्तोषजनक जबाब नहीं दिया गया। इस बाबत अपीलान्ट ने सर्वप्रथम दिनांक 28.1.2021 को एक शिकायत पत्र पुलिस चौकी इंचार्ज महुकला को दिया व दूसरा शिकायत पत्र दिनांक 1.4.2021 को श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक गंगापुरसिटी को दिया जिस पर पुलिस ने सरसरी तौर पर कार्यवाही की और रामधन को हिदायत दी कि वह जल्द से जल्द मूल खातेदारों

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

18.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नारायण लाल आदि से अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित कराये इस सम्पूर्ण घटनाक्रम की जानकारी खसरा नम्बर 791 के सभी खातेदारों को थी। पुलिस द्वारा हिदायत देने के बाबजूद भी स्व0 रामधन गुर्जर ने अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराई और बिना रजिस्ट्री कराये रामधन गुर्जर का देहान्त हो गया। इन समस्त परिस्थितियों का लाभ उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 ने नगर परिषद गंगापुरसिटी के समक्ष 90 ए की पत्रावली पेश की जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी ने बिना कानूनी प्रकिया अपनाये दिनांक 24.6.2022 को 90 ए का आदेश पारित कर दिया जो न्यायसंगत नहीं है अपीलाधीन आदेश मोका एवं रिकार्ड के विपरीत है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा नगर परिषद कार्यालय में खसरा नंबर 791 के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त आवेदन पत्र न तो खसरा नम्बर 791 के सभी खातेदारों द्वारा प्रस्तुत किया गया और न ही आवेदन पत्र के साथ अन्य खातेदारन की सहमति संलग्न की गई। नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से केवल रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर ही खसरा नंबर 791 के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के लिए सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर दी गई। इससे पूर्व न तो खातेदारान को कोई नोटिस दिया गया और न ही किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट ही ली गई। नगर परिषद की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यवाही जल्दबाजी में एवं एकतरफा की गई है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र पर बिना कोई मौका रिपोर्ट लिए प्रीमियम शुल्क दिनांक 03.06.2022 को जमा करवा कर लोक विज्ञप्ति व तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव संबंधित कार्मिक द्वारा दिया गया। जिस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी का आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी को दिनांक 08.06.2022 को इस आशय का पत्र प्राप्त होने पर कि खसरा नंबर 791 में आवेदक नारायण लाल पुत्र गोबरधन लाल का नाम अंकित है, जबकि राजस्व रिकार्ड में अन्य सह खातेदार भी हैं। अतः सभी सहखातेदारों का नाम अंकित कर सहमति पत्र भिजवाने हेतु लिखा गया। उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद नगर परिषद की ओर से तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र दिनांक 14.06.2022 लिखा गया जिसमें सभी खातेदारों के नाम का उल्लेख कर सहमति चाही गई। उक्त पत्र के क्रम में तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पत्र दिनांक 15.06.2022 को भिजवाया गया। इस पत्र के साथ पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई। नगर परिषद की ओर से सभी खातेदारों की सहमति लिए बिना व मौका रिपोर्ट प्राप्त किए बगैर रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध है। क्योंकि तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जानी थी, परन्तु इस तरह की कोई विज्ञप्ति नगर परिषद की ओर से जारी नहीं की गई। इसी प्रकार नगर परिषद कार्यालय में जो सहमति पत्र रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उसमें सभी खातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है। नगर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

18.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

परिषद की ओर से उक्त कार्यवाही किए जाने से पूर्व किसी तरह का कोई मौका नहीं दिखवाया गया और न ही किसी तरह का कोई आपत्ति नोटिस ही जारी किया गया। यदि विवादित भूमि के संबंध में मौके संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो वस्तुस्थिति संबंधी तथ्य स्पष्ट हो सकते थे, क्योंकि उक्त भूमि पर वर्ष 2013 से ही अपीलान्ट का कब्जा है। इसकी पुष्टि अदालत हाजा में प्रस्तुत दस्तावेज से भी हो रही है। जमाबन्दी में खसरा 791 के 28 खातेदार दर्ज हैं। जबकि अपीलान्ट की ओर से नगर परिषद कार्यालय गंगापुर सिटी में प्रस्तुत दस्तावेजात में केवल 18 व्यक्तियों की सहमति ही है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के खातेदार दुर्गी देवी पत्नि रामप्रसाद जो कि 1/70 हिस्से की खातेदार है की मृत्यु दिनांक 05.05.2022 को ही हो चुकी थी। नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से खातेदार की मृत्यु के बाद बिना वारिसान को रिकार्ड पर लिए दिनांक 24.06.2022 को उक्त कार्यवाही की गई है। जिसमें मृतक दुर्गी देवी की सहमति भी बताई गई है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर में भी पुलिस विभाग ने एफ.आर. लगाई है। चूंकि नगर परिषद की ओर से न तो विवादित भूमि के सभी खातेदारान की सहमति ही ली गई और न ही मौका रिपोर्ट ही प्राप्त की गई तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की गई है। इसलिए नगर परिषद की ओर से की गई कार्यवाही विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि खसरा नम्बर 791 के मूल खातेदारों की सहमति से ही स्व0 रामधन गुर्जर द्वारा भूखण्डों के रूप में जमीन का विक्रय किया गया। मौके पर कब्जा भी अप्रार्थीगणों का नहीं है। स्व0 रामधन गुर्जर की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व अन्य केताओं के हकों को समाप्त करने के उद्देश्य से एकतरफा में यह कार्यवाही की गई है इसलिऐ यह आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्ट जरिये इकरारनामा दिनांक 30.1.2013 व 3.7.2013 के द्वारा विवादित आराजी में से कुछ भूखण्डों को क्रय किया है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.6.2022 से परिवेदित है। क्यों कि अपीलाधीन आदेश बिना अपीलान्ट को सुने एकतरफा में पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः सुनवाई कर नए सिरे से निर्णय पारित करने हेतु नगर परिषद गंगापुर सिटी को भिजवाया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है, क्योंकि सभी विधिक खातेदारों की सहमति एवं रैस्पो0 संख्या 2 नारायण लाल के हक में जारी पॉवर ऑफ एटार्नी दिनांक 17.12.2021 के आधार पर आयुक्त नगर परिषद गंगापुरसिटी के समक्ष भूमि आबादी में आ जाने के कारण 90 ए का नियमानुसार आवेदन किया गया है जो प्रावधानों के अनुकूल है। कोई भी खातेदार अपनी भूमि के संबध में मालिकाना विधिक हक संबधित दस्तावेज संलग्न

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

करते हुये 90 ए के लिये नियमानुसार आवेदन करने के लिये स्वतन्त्र रहता है जैसा कि इस प्रकरण में हुआ है वकायदा सभी सहखातेदारान की सहमति के आधार पर ही 90 ए की कार्यवाही की गई है। विवादित आराजी रैस्पोडेन्टस 2 लगायत 17 व अन्य 23 खातेदारों की संयुक्त स्वामित्व की भूमि है सभी सहखातेदारान अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। इस भूमि से अपीलान्ट का कोई संबध व वास्ता नहीं है। इस भूमि को किसी ने भी कभी कोई बेचान नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा फर्जी विक्रय पत्र रामधन पुत्र चिरजी के द्वारा साज कर तैयार किया गया है। उक्त फर्जी विक्रयपत्र के आधार पर अपीलान्ट ने उक्त भूमि को सहखातेदार नारायणलाल द्वारा दिनांक 30.1.2013 को रामधन गुर्जर से क्रय करना बताकर उक्त भूमि पर अपने आप को फर्जी मालिक बताते है जबकि भूमि ख0नं0 791, 24 सहखातेदारों की संयुक्त स्वामित्व की भूमि है जिसका अभी रिकार्ड में नियमानुसार विभाजन भी नहीं हुआ है। किसी भी एक खातेदार को अन्य सहखातेदारों की भूमि को किसी भी प्रकार से बेचान व हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है और ना ही आज तक रैस्पोडेन्टस के द्वारा इस आराजी को किसी दीगर जगह बेचान किया गया है। अपीलान्ट फर्जकारी करके इस भूमि को हडपना चाहता है। 90 ए की कार्यवाही में विधिक मालिकाना हक आवश्यक है रैस्पोडेन्टस का राजस्व रिकार्ड में वकायदा मालिकाना हक इन्द्राज है जिसके आधार पर समर्पण कार्यवाही की गई है इस कार्यवाही में फर्जी इकरारनामा के आधार पर अपीलान्ट को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि है। जिसकी पुष्टि नगर परिषद कार्यालय में प्रस्तुत जमाबन्दी की प्रति से हो रही है। अदालत हाजा में जो अपील पेश की गई है। वह गैर अनुसूचित जाति का सदस्य है। अपीलान्ट को अनुसूचित जाति की भूमि में किसी तरह का कोई इकरारनामा करने या क्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट की ओर से जिस तथाकथित रामधन गुर्जर से विवादित भूमि का जरिये इकरारनामा वर्ष 2013 में क्रय किये जाने व रजिस्ट्री कराए जाने का इकरार होना बताया गया है। वह व्यक्ति भी गैर अनुसूचित जाति का सदस्य है। इसलिए रामधन गुर्जर को रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज भूमि को जरिये इकरारनामे बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस तरह का बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के तहत प्रतिबंधित है। अपीलान्ट की ओर से सी.पी.सी की धारा 96 के तहत अदालत हाजा में नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.06.2022 के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति इस आधार पर चाही गई है कि उक्त भूमि का वर्ष 2013 में अपीलान्ट को इकरारनामे से क्रय किया गया था तथा इकरारनामाकर्ता की खातेदार से रजिस्ट्री कराए जाने से पूर्व ही मृत्यु हो जाने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज भूमि गैर अनुसूचित जाति को विक्रय नहीं की जा सकती है। इसके अलावा भी अपीलान्ट की ओर से जिस इकरारनामे के आधार पर विवादित भूमि पर अपना अधिकार होना बताया जा रहा है। वह भी वैद्यानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि 100 रूपये से

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अधिक मूल्य की सम्पत्ति का पंजीबद्ध होना आवश्यक है। यदि 100 रूपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति अपंजीकृत है तो इस तरह के दस्तावेज के आधार पर धारक को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा सकती है। जहां तक नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 का प्रश्न है तो उक्त आदेश नगर परिषद की ओर से समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद पारित किया है। जिसमें खातेदारान की सहमति भी ली गई है तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी में स्थित भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत स्थानीय निकाय से कार्यवाही कराने हेतु सक्षम है। इस अधिकार के तहत ही रैस्पोडेन्ट की ओर से नगर परिषद गंगापुर सिटी में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें नगर परिषद की ओर से सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने व तहसीलदार से सहमति प्राप्त करने के बाद उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट को नगर परिषद की ओर से की गई कार्यवाही के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 यथावत रखा जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से नगर परिषद गंगापुर सिटी के कार्यालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बंध पत्र, शपथ पत्र, जमाबन्दी, पावर आफ अटार्नी, नक्शा आदि की प्रतियां प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नगर परिषद की ओर से दर्ज रजिस्टर किया जाकर सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 03.06.2022 को जारी की गई। जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से खसरा नंबर संख्या 791 रकबा 0.42 हैक्टेयर का उल्लेख कर आपत्ति नोटिस एक सप्ताह में चाहा गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र दिनांक 03.06.2022 के द्वारा सहमति भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र के प्रतिउत्तर में नगर परिषद गंगापुर सिटी को तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पत्र दिनांक 08.06.2022 को लिखा गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि सहमति पत्र में केवल नारायण लाल पुत्र गोरधन लाल का नाम ही दर्ज है जबकि पत्र में वर्णित खसरा नंबर 791 के राजस्व रिकार्ड में अन्य सहखातेदार भी दर्ज हैं। उक्त सभी सहखातेदारों का नाम अंकित कर सहमति पत्र भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया। पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी में खसरा नंबर 789, 790, 791 के 31 सहखातेदार दर्ज होने का रिकार्ड भिजवाया गया। नगर परिषद की ओर से सभी खातेदारों का नाम अंकित करते हुए संशोधित सहमति पत्र दिनांक 14.06.2022 को तहसीलदार गंगापुर सिटी को पुनः प्रेषित किया गया। इस पत्र के प्रतिउत्तर में तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से नगर परिषद गंगापुर सिटी को पत्र दिनांक 15.06.2012 भिजवाया गया। जिसमें आवेदक व राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारों का नाम अंकित कर नियमानुसार गैर कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिधृति अधिकारों का नियमानुसार निर्वापित करने की सिफारिश की गई है। नगर परिषद की पत्रावली में संलग्न अभिन्यास योजना और संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा के लिए रूप विज्ञान (जांच सूची) में न तो सभी कॉलमों की पूर्ति की गई है और न ही कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर ही हो रहे हैं। आवेदित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट आदि भी नगर परिषद की ओर से प्राप्त नहीं की गई। आवेदित भूमि के बारे में जारी की गई लोक सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने का कोई रिकार्ड भी अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। पत्रावली में उपलब्ध वर्ष 2073 से 2076 की जमाबन्दी के अनुसार खसरा नंबर 789, 790 व 791 के कुल 31 सहखातेदार हैं। जिनमें से आवेदक नारायण पुत्र गोरधन का 1/14 हिस्सा दर्ज है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से नगर परिषद कार्यालय में प्रस्तुत पावर आफ अटार्नी में भी सभी सहखातेदारों की सहमति नहीं है तथा नगर परिषद कार्यालय में आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के पीछ भी केवल 13 सहखातेदारों के हस्ताक्षर अंकित हैं। जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सभी खातेदारों की सहमति लिया जाना आवश्यक था। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में वर्णित इस तर्क की विवादित भूमि की खातेदार दुर्गी पत्नि रामप्रसाद की मृत्यु दिनांक 05.05.2022 को हो जाने के बाद उसके वारिसान को बिना पक्षकार बनाए नगर परिषद की ओर से गलत कार्यवाही की गई है, के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर रैस्पोडेन्ट की ओर से नहीं दिया गया। जबकि विधिक प्रावधान अनुसार मृत व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। रैस्पोडेन्ट संख्या 8 दुर्गी देवी की मृत्यु दिनांक 05.05.2022 को होने की पुष्टि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2023 से हो रही है। इस आधार पर भी नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से की गई कार्यवाही को उचित नहीं कहा जा सकता है। रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में दिए गए यह तर्क कि अपीलान्ट के पक्ष में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज भूमि का इकरारनामा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं किए जा सकने, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के प्रावधान का उल्लघंन होने आदि का प्रश्न है तो इस संबंध में विवादित भूमि के सभी खातेदारों द्वारा आवेदन किए जाने पर जारी की जाने वाली लोक सूचना के क्रम में प्राप्त हुई आपत्तियों का नगर परिषद द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत निर्णय किया जा सकता है, परन्तु उक्त प्रकरण में नगर परिषद गंगापुर सिटी में विवादित भूमि के संबंध में 90 ए की कार्यवाही किए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का नगर परिषद की ओर से विधिक प्रावधानों की पालना किए बिना, सभी खातेदारों की सहमति लिए बिना तथा बिना लोक सूचना जारी किए व मौका रिपोर्ट प्राप्त किए बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 पारित किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

24.06.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवेदित भूमि खसरा नंबर 791 के सभी खातेदारों से आवेदन पत्र/सहमति पत्र प्राप्त करने, मृतक खातेदार दुर्गेश दवी के वारिसान को रिकार्ड पर लेने, मौका रिपोर्ट प्राप्त करने, विभाग की ओर से निर्धारित चैकलिस्ट की पूर्ण पूर्ति करने, आवेदित भूमि के संबंध में विधिवत लोक सूचना जारी करने व प्राप्त हुई आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें। अपीलान्ट नगर परिषद की ओर से जारी की जाने वाली लोक सूचना के संबंध में नगर परिषद कार्यालय में आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अदालत हाजा की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में हुए तथाकथिकत इकरारनामे के आधार पर नगर परिषद गंगापुर सिटी को पृथक से किसी प्रकार के निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.7.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर